न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश मेहरा आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 38 / 2024 – निगरानी

1. फारुक मोहम्मद पिता कमरूद्दीन फकीर निवासी पुरानी आबादी, तलहटी माण्डलगढ तहसील माण्डलगढ	बनाम	1. शंभूलाल पिता घीसालाल गुर्जर निवासी नई आबादी माण्डलगढ तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा 2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका माण्डलगढ जिला भीलवाडा
–निगराकार		– गैर निगराकार

निगरानी विरूद्ध नगर पालिका माण्डलगढ द्वारा जारी पटटा आदेश कमांक 638 दिनांक 03.07.2015

उपस्थित –

1. श्री रमेश चेचाणी, राकेश चौहान अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री रमेश चन्द्र सारस्वत अधिवक्ता – गैर निगराकार संख्या 01 ओर से

निर्णय

दिनांक 19.08.2025

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम माण्डलगढ में निगराकार का आबादी हल्का अन्दर गुजरों के मोहल्ले में आवासीय भूखण्ड न. 221/2 स्थित हैं। जिस पर निगराकार का अपने दादा स्व. शबराती फकीर के नाम पर जारीशुदा पटटे पर उनकी मृत्यु उपरांत लगातार कब्जा चला आ रहा है। शबराती फकीर को तत्कालीन पंचायत माण्डगढ द्वारा दिनांक 01.02.1969 को पटटा जारी किया गया, जिसकी साईज 40 बाई 70 वर्गफीट हैं। उक्त भूखण्ड के दक्षिण में 20 फीट का रोड हैं। जबकि विपक्षी संख्या 01 ने उक्त भूखण्ड व सडक पर पुश्तैनी कब्जा बताकर स्टेट ग्राण्ड एक्ट के तहत दिनांक 03.07.2015 को नगर पालिका माण्डलगढ द्वारा पटटा संख्या 638 से अपने नाम करवा लिया गया जो निरस्त योग्य हैं, क्योंकि उक्त पटटा भूखण्ड के पूर्व में शान्ता देवी होना बताया जो गलत हैं। उक्त

अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा